**दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली**

***निर्णय की तिथि : 27 अगस्त, 2024***

सि.वि.(मु) 3233/2024 एवं सि.वि.आ. 48785-48786/2024

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया .....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री के.के. मुदगिल, अधिवक्ता (वीसी के माध्यम से)

बनाम

अनुराधा मनचंदा एवं अन्य .....प्रत्यर्थी

द्वारा: कोई नहीं।

**कोरम:**

**माननीय न्यायमूर्ति श्री मनोज जैन**

**<u>निर्णय</u> *(मौखिक)***

1. याचिकाकर्ता बैंक, विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी सं. 1 है और घोषणा और स्थायी व्यादेश के लिए वाद का बचाव कर रहा है।

2. वादी- सुश्री अनुराधा मनचंदा स्वयं को प्रश्नगत संपत्ति की वास्तविक क्रेता होने का दावा करती हैं।

3. याचिकाकर्ता बैंक दिनांक 10.05.2024 के आदेश से व्यथित है, जिसके तहत आदेश IX नियम 7 सीपीसी के तहत दायर उसके आवेदन को खारिज कर दिया गया है।

4. यह उल्लेख किया गया है कि प्रतिवादी बैंक के विरुद्ध दिनांक 01.05.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई थी और इस तथ्य के बावजूद कि उनकी ओर से विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष नियमित रूप से उपस्थिति थी, बैंक को अच्छे से ज्ञात कारणों से, इस तरह के एकपक्षीय आदेश को अपास्त करने की मांग करते हुए कभी कोई आवेदन नहीं किया गया।

5. अंततः यह आवेदन लगभग पांच वर्षों के बाद प्रस्तुत किया गया और इसे विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया।

6. प्रतिवादी बैंक के अनुसार, उसने पहले भी इस मामले में भाग लिया था और लिखित बयान भी दाखिल किया था। इसके अधिवक्ता पहले भी नियमित रूप से विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होते रहे थे, लेकिन उसके बाद बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के स्थानांतरण के कारण, नव नियुक्त अधिकारी मामले का अनुसरण नहीं कर सके और उसके बाद, कोविड-19 महामारी के कारण कुछ भी नहीं किया जा सका।

7. यद्यपि यह स्वीकार किया जाता है कि बैंक के परोक्षी अधिवक्ता विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होते रहे, इसके अतिरिक्त, यहां

तक कि ऐसे परोक्षी अधिवक्ता ने भी बैंक को कभी सूचित नहीं किया कि उसके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की जा रही है और इसलिए, यह तर्क दिया गया है कि गैर-उपस्थिति और गैर-अभियोजन न तो जानबूझकर और न ही इरादतन किया गया था और इसलिए, यह बिलकुल एक ऐसा मामला था जहां एकपक्षीय आदेश को अपास्त कर दिया जाना चाहिए था।

8. इस न्यायालय का ध्यान विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित विभिन्न आदेशों की ओर आकर्षित किया गया है।

9. पूछे जाने पर, याचिकाकर्ता-बैंक के विद्वान अधिवक्ता ने भी स्वीकार किया कि याचिकाकर्ता-बैंक के पास पहले से ही संबंधित उधारकर्ता और गारंटर के खिलाफ अपने पक्ष में डिक्री है। प्रत्यर्थी संख्या 2 अर्थात श्री ओम प्रकाश जैन को उधारकर्ता बताया गया है और प्रत्यर्थी संख्या 3 अर्थात श्री पंकज चौहान को गारंटर बताया गया है।

10. जो भी हो, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता-बैंक ही अपनी दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है। बैंक को ही ज्ञात कारणों से, उसने कभी भी वांछित तरीके से मामले का बचाव करने के बारे में नहीं सोचा और बल्कि चीजों को हल्के में ले लिया।

11. विद्वान विचारण न्यायालय ने आक्षेपित आदेश के पैरा 5 से 8 में निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:-

*"5. मैंने पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है। मैंने रिकार्ड का अवलोकन किया है। प्रतिवादी संख्या 1 को वर्तमान वाद का सम्मन विधिवत् तामील किया गया तथा उसने लिखित बयान दाखिल कर दिया है। 03.05.2018, 13.08.2018, 15.09.2019 और 21.01.2019 को प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से कोई उपस्थिति नहीं हुई। तत्पश्चात 01.05.2019 को भी प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और तदनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। इसके बाद, मामले को वादी के साक्ष्य के लिए सुनवाई या समीक्षा हेतु तय किया गया और 12.12.2019 को अभि.सा.-1 की जांच की गई और उसे उन्मोचित कर दिया गया और मामले को वादी के शेष साक्ष्य के लिए सुनवाई या समीक्षा हेतु तय कर दिया गया। दिनांक 03.02.2021 को प्रतिवादी संख्या 1 के परोक्षी अधिवक्ता पुनः उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 1 भी बाद में 23.02.2021 और 16.09.2021 को मामले में उपस्थित हुआ। हालाँकि, दिनांक 01.05.2019 के एकपक्षीय आदेश को अपास्त करने के लिए कोई आवेदन दायर नहीं किया गया। इसके बाद, प्रतिवादी संख्या 1 दिनांक 19.01.2022, 25.07.2022, 18.10.2022 और 19.01.2023 को मामले में पुनः अनुपस्थित रहा। दिनांक 19.01.2023 को वादी का साक्ष्य समाप्त हो गया और मामला अंतिम बहस के लिए सुनवाई या समीक्षा हेतु तय कर दिया गया।*

*6. सीपीसी के आदेश IX नियम 7 के तहत वर्तमान आवेदन प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा 18.03.2023 को दायर किया गया है। आवेदन में बताया गया एकमात्र कारण यह है कि पिछले पैनल अधिवक्ता ने प्रतिवादी सं. 1 को सूचित नहीं किया था और पिछले ए.आर. का स्थानांतरण हो गया था और नए ए.आर. को मामले के बारे में पता नहीं था। हालाँकि, यह दिखाने के लिए कोई दस्तावेज़ अभिलेख पर नहीं रखा गया है कि पिछले अधिवक्ता के खिलाफ या पिछले ए.आर. के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। ऐसा कोई भी पत्र-व्यवहार रिकार्ड पर नहीं रखा गया है जिससे पता चले कि प्रतिवादी संख्या 1 मामले को तत्परता से आगे बढ़ा रहा था या उसने मामले की स्थिति जानने की भी कोशिश की थी।*

*7. प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 01.05.2023 के एकपक्षीय आदेश को अपास्त करने की मांग के लिए 18.03.2023 को वर्तमान आवेदन दायर किया है। वर्तमान आवेदन प्रतिवादी संख्या 1 पर एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने के लगभग 4 वर्ष बाद दायर किया गया है। यह ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध 01.05.2019 को ही एकपक्षीय कार्यवाही की गई है, तथापि वह 03.05.2018 से मामले में उपस्थित नहीं हो रहा है। यदि कोविड अवधि को छोड़ भी दिया जाए, तो भी आवेदन लगभग दो वर्ष से अधिक समय के बाद दाखिल किया गया है। दिनांक 01.05.2019 के आदेश से पहले या उसके बाद, उपरोक्त अनुपस्थिति के लिए अभिलेख पर कोई ठोस कारण नहीं हैं। प्रतिवादी संख्या 1, वर्ष 2021 में, बीच में उपस्थित हुआ और उसने कोई आवेदन दायर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया।*

*8. वादी की सम्पूर्ण गवाही समाप्त हो चुकी है और मामला कार्यवाही के अंतिम चरण में है। उद्धृत किए गए कारण दस्तावेज़ों या आवेदक के आचरण के संदर्भ में किसी भी पुष्टि द्वारा समर्थित नहीं हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि प्रतिवादी संख्या 1 एक वित्तीय संस्थान है और वह कोई असहाय अनपढ़ वादी नहीं है, इसलिए, मुकदमा चलाने में उसकी ओर से सावधानी बरतने की आवश्यकता है।यदि लगभग 5 वर्षों की अवधि के दौरान नियुक्ति अधिवक्ता/ए.आर. की ओर से लापरवाही हुई थी, तो उसे पत्र-व्यवहार द्वारा या उचित कार्रवाई द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए था। प्रतिवादी संख्या 1 के अधिकारी लगभग 5 वर्षों से सो (इसकी अनदेखी कर) रहे हैं और उन्होंने इस मामले में कोई रुचि नहीं ली। उत्तरदायी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अधिवक्ता के लापरवाह होने के बारे में केवल एक पंक्ति कहने से शायद ही आवेदक को बचाया जा सकेगा, जबकि वह 03.05.2018 से 18.03.2023 तक इस मामले में सो (इसकी अनदेखी कर) रहा है।"*

12. ये टिप्पणियां न्यायालय के अभिलेख के अनुरूप हैं और इस प्रकार यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आदेश में कोई भी अनौचित्य और अवैधता नहीं है,

जिससे इस न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अपनी पर्यवेक्षी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बाध्य होना पड़े।

13. यह न्यायालय इस तथ्य से भली-भांति परिचित है कि वर्तमान याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत दायर की गई है और पर्यवेक्षी न्यायालय का कर्तव्य है कि यदि वह पाता है कि निष्कर्ष दोषपूर्ण हैं, अर्थात् (i) महत्वपूर्ण साक्ष्य पर विचार न करने के कारण त्रुटिपूर्ण हैं, या (ii) ऐसे निष्कर्ष हैं जो साक्ष्य के विपरीत हैं, या (iii) ऐसे अनुमानों पर आधारित हैं जो कानून में अस्वीकार्य हैं, तो वह इस पर रोक लगाए। *पुरी इन्वेस्टमेंट्स बनाम यंग फ्रेंड्स एंड कंपनी और अन्य: 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 283* का संदर्भ दिया जाना चाहिए।

14. विद्वान न्यायालय, तथ्यों की वांछित तरीके से विवेचना करने के पश्चात, इस विशिष्ट निष्कर्ष पर पहुंचा है कि एकपक्षीय आदेश को अपास्त करने के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं था। इस न्यायालय को भी किसी अन्य निष्कर्ष पर पहुंचने का कोई कारण नहीं दिखता।

15. वर्तमान याचिका में कोई गुणागुण नहीं पाए जाने पर, इसे खारिज किया जाता है।

**(मनोज जैन)**
**न्यायाधीश**

**27 अगस्त, 2024**/*एस.डब्ल्यू*

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

***अस्वीकरण :*** *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*